

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/जयपुर/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक 22-06-2016

:: आदेश ::

राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10/12) के अत्यन्त निकट राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होने से इन विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं में पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अत्यन्त निकट संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को समन्वित करने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को समन्वयन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। निदेशक, निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावों की जांच उपरान्त शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समन्वयन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

विभाग द्वारा परीक्षण उपरान्त स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए कॉलम 6 में उल्लेखित विद्यालय को कॉलम 5 में उल्लेखित विद्यालय में निम्नानुसार समन्वित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिला : जयपुर

क्र०स०	पंचायत समिति/ नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/ वार्ड नं०	राउमावि/मावि (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	सांगानेर	बीलवा	बीलवा	राउमावि बीलवा	राबाउप्रावि बीलवा
2	सांगानेर	भम्भौरिया	भम्भौरिया	राउमावि भम्भौरिया	राबाउप्रावि भम्भौरिया
3	फागी	फागी	फागी	राउमावि बालिका फागी	राउप्रावि बालिका फागी
4	फागी	मोहब्बतपुरा	मोहब्बतपुरा	रामावि डाबला बुर्जुग	राप्रावि बालिका डाबला खुर्द
5	फागी	नारेडा	मंडावरा	रामावि मंडावरा	राप्रावि बालिका मंडावरा

6	दूदू	खुडियाला	खुडियाला	राउमावि खुडियाला	राबाउप्रावि खुडियाला
7	दूदू	गुढाबैरसल	गुढाबैरसल	रामावि गुढा बैरसल	राबाउप्रावि गुढाबैरसल
8	दूदू	ढीण्ढा	ढीण्ढा	रामावि ढीण्ढा	राबाउप्रावि ढीण्ढा
9	दूदू	नानण	नानण	रामावि नानण	राबाउप्रावि नानण
10	दूदू	बोबास	बोबास	राउमावि बोबास	राबाउप्रावि बोबास
11	दूदू	सेवा	सेवा	राउमावि सेवा	राबाउप्रावि सेवा
12	जमवारामगढ	ऑधी	ऑधी	राआउमावि0 ऑधी	राप्रावि0 न्यू कालोनी, जयपुर रोड ऑधी
13	जमवारामगढ	लांगडियावास	मथुरादासपुरा	राउमावि0 लांगडियादास	राउप्रावि0 मथुरादासपुरा
14	कोटपूतली	नांगल पण्डित पुरा	नांगल पण्डितपुरा	राउमावि0 नांगल पण्डितपुरा	राबाप्रावि0 नांगल पण्डितपुरा
15	विराटनगर	बीलवाडी	बीलवाडी	राउमावि0 बीलवाडी	राबाउप्रावि0 बीलवाडी
16	विराटनगर	भामोद	भामोद	रामावि0 भामोद	राबाउप्रावि0 भामोद
17	सांभरलेक	बासडी खुर्द	बासडीखुर्द	राउमावि0 बासडीखुर्द	राबाप्रावि0 बासडीखुर्द
18	सांभरलेक	डूंगरी कला	डूंगरीकलॉ	रामावि0 डूंगरीकलॉ	राबाउप्रावि0 डूंगरीकलॉ
19	शाहपुरा	नाथावाला	अमरपुरा	रामावि0 अमरपुरा	राबाउप्रावि0 अमरपुरा
20	जालसू	खोराश्यामदास	खोराश्याम दास	राउमावि0 खोराश्यामदास	राबाप्रावि0 खोराश्यामदास
21	जालसू	नांगल पुरोहितान	नांगल पुरोहितान	रामावि0 नांगल पुरोहितान	राबाउप्रावि0 नांगल पुरोहितान
22	पावटा	टसकोला	टसकोला	राउमावि टसकोला	राबाउप्रावि टसकोला
23	सांगानेर	पंवालिया	पंवालिया	राउमावि पंवालिया	राबाउप्रावि पंवालिया
24	फागी	मेदवास	मेदवास	राउमावि मेदवास	राप्रावि बालिका मेदवास
25	पावटा	टसकोला	टसकोला	राआमावि0 द्वारिकपुरा	राप्रावि0 ढाणी कांकरी द्वारिकपुरा
26	आमेर	कंवरपुरा	कंवरपुरा	रामावि0 कंवरपुरा	राप्रावि0 हरचन्दपुरा
27	जयपुर पश्चिम	नगर निगम जयपुर	54	राउमावि दुर्गापुरा	राप्रावि रेगर बस्ती
28	जयपुर पूर्व	नगर निगम जयपुर	68	राउमावि वन विहार	राउप्रावि बालिका वन विहार
29	सांगानेर शहर	बगरू	33	राउमावि भांकरोटा	राउप्रावि वा. भांकरोटा
30	सांगानेर शहर	बगरू	38	रासीसैवि श्योपुर	राउप्रावि वा. श्योपुर

31	सांगानेर	वाटिका	वाटिका	राबाउमावि वाटिका	राप्रावि खारडा की ढाणी राप्रावि नीमडी की ढाणी
32	चोमूं	ईटावा भोपजी	ईटावा भोपजी	राउमावि ईटावा भोपजी	राप्रावि भोमिया जी की जोहडी

उपरोक्तानुसार समन्वित (एकीकृत) राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा:-

- i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
- ii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
- iii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पतियाँ, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो जायेगा।
- iv. एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।
- v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिए अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित

किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की व्यवस्था करते हुए 1 से 12 कक्षाएँ संचालित होगी।

- vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होंगे विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा-कक्ष की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।
- vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 11(40)शिक्षा-6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- viii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 22(6)शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.4.2015 द्वारा जारी मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा। पदों के सृजन के पश्चात नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ix. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक समन्वित (एकीकृत) विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।
- x. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-1/आदर्श बी/21312/वो-112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
- xi. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर

उपरोक्तानुसार विद्यालयों के समन्वयन के आधार पर शाला दर्पण/शाला दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से
नाहर सिंह
(नाहर सिंह) 12/06/2016
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपी : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर
11. संभागीय आयुक्त,
12. जिला कलक्टर,
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा गुप-2, 5, 6
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली

नाहर सिंह
22/06/2016
शासन उप सचिव, प्रथम